Hari Bhumi Edition Delhi
1.2.2017 Page 12
Height 11.02cm Width 20.76 cm

अलर्ट | यूआईडीएआई का फरमान, नहीं पड़े झांसे में

जरूरी नहीं है प्लास्टिक का आधार कार्ड

एजेंसी . नई दिल्ली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 50 से 200 रूपए लेकर प्लास्टिक आधार कार्ड देने वाली इकाइयों को आगाह किया है कि आए दिन बढ़ रही फेक घटनाओ के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरणों ने जोर देकर कहा है कि कागज पर छापा आधार पूरी तरह वैध है और स्मार्ट या प्लास्टिक कार्ड जैसी कोई धारणा नहीं हैं। यूआईडीएआई ने इस झांसे में नहीं पड़ने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि आधार का कटा हुआ हिस्सा या साधारण कागज पर डाउनलोड किया गया आधार हर प्रकार के उपयोग के लिए पूरी तरह वैध है। इसका जरूरत के अनुसार कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूआईडीएआई के अनुसार साधारण कागज पर आधार कार्ड या डाउनलोड किया हुआ आधार हर प्रकार के उपयोग के लिए पूरी तरह वध है। अगर किसी व्यक्ति के पास कागज आधार कार्ड है उसे अपने आधार कार्ड को लैमिनेटेड या पैसा देकर प्लास्टिक आधार कार्ड या तथा कथित स्मार्ट आधार कार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट कार्ड या प्लास्टिक आधार कार्ड की इसमें कोई धारणा नहीं है।

- साधारण कागज या डाउनलोड किया हुआ आधार हर तरह के उपयोग के लिए है वैध

तेजी से बढ़ा फर्जीवाड़ा

उल्लेखनीय है कि बिते कुछ दिनों से मार्केट में फर्जीवाडे की घटनाएं काफी बढ़ी हुई हैं। इसे देखते हुए ही प्राधिकरण ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कागज आधार कार्ड है तो उसे अपने आधार कार्ड को लैमिनेट या पैसा देकर प्लास्टिक आधार कार्ड या तथा कथित स्मार्ट आधार कार्ड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट या प्लास्टिक आधार कार्ड की इसमें कोई धारणा नहीं है। आधार कार्ड रखने वालों से अपनी निजता का संरक्षण करने को कहा और लोगों से उपपर कोई परत चढ़ाने अथवा प्लास्टिक कार्ड पर छपाई के लिए अनाधिकृत एजेंसियों के साथ अपना आधार संख्या या व्यक्तिगत ब्यौरा साझा करने से मना किया है।

जांच बिना न दे जानकारी

आधार कार्ड रखने वालों से अपनी निजता का संरक्षण करने को कहा और लोगों से उसपर कोई परत चढ़ाने अथवा प्लास्टिक कार्ड पर छपाई के लिए अनाधिकृत एजेंसियों को भी आगाह किया है।